



“जीवन प्रकाश मंडल कार्यालय, जयपुर रोड, सेक्टर नंबर 6-7, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर (राज.)

पंजीकृत/कोरियर/ईमेल

पत्र क्रमांक : स्टेशनरी/का.से./050/22-23

दिनांक: 27.10.2022

मैसर्स:

महोदय,

विषय : सीमित निविदा (संशोधित) संख्या 01 – प्रिंटेड स्टेशनरी वर्ष 2022-23

संलग्न प्रारूप के अनुसार हम समय समय पर अपनी आवश्यकतानुसार कागज सहित मुद्रण करवाने का विचार रखते हैं। प्रपत्रों का पूर्ण विनिर्देश अर्थात् प्रपत्र संख्या, कागज, पैकिंग एवं पफरेशन आदि व प्रयुक्त होने वाले कागज का भार एवं आकार संलग्न सूची में दिया हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त प्रपत्रों के मुद्रण हेतु कागज पफरेशन नंबर डालने आदि जहाँ आवश्यक हो, के मूल्य सहित दरे अर्थात् तैयार माल के लिए दरे हमारे विचार हेतु प्रेषित करें। ये दरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति की तिथि से दिनांक 28.07.2023 तक के लिए मान्य होगी।

1. आदेश देने की तिथि के पांच दिवस के भीतर आर्ट वर्क हमारे पास पहुंचाना होगा। हमारे द्वारा आर्ट वर्क अनुमोदित कर आपको प्रेषित करने की तिथि से 30 दिन में सामान की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा प्रतिदिन कुल लागत की 0.1 प्रतिशत राशि हमें होने वाली क्षति के कारण पेनल्टी के रूप में भुगतान से कटौती कर दी जाएगी।
2. सामान की आपूर्ति 70 दिनों तक प्राप्त न होने पर आपूर्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा व आपूर्ति आदेश अगले न्यूनतम बिड वाले को दिया जाएगा व अंतर की राशि मूल आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूली जाएगी।
3. tax मैं कटौती भारतीय सरकार के नियमों के अनुसार होगी !
4. निविदाएं तय समय व दिनांक पर कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। दरे केवल संलग्न पत्र में ही प्रस्तुत करें। निविदा कर्ता द्वारा आइटम की सूचि/Make इत्यादि में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया गया तो वह स्वीकार्य नहीं होगा।
5. निविदा में वर्णित सामान की आपूर्ति मंडल कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम “जीवन प्रकाश” जयपुर, रोड बीकानेर पर करनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अन्य खर्च नहीं दिया जाएगा। दरे जीएसटी रहित (without GST) देवे सी एवं डी फॉर्म विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
6. जीएसटी का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही देय होगा। यदि आपको निविदा के आधार पर आपूर्ति हेतु आदेश दिया जाता है तो आपूर्ति निविदा में दी गयी मिल एवं पेपर Quality पर ही करनी होगी। हम आपूर्ति के पेपर की जांच सम्बंधित मिल अथवा उनके प्रतिनिधियों से करवा सकते हैं। यदि पेपर गलत पाया गया तो आपूर्ति अस्वीकार की जा सकती है अथवा लागत राशी की न्यूनतम बीस प्रतिशत राशि भुगतान से कटौती की जा सकती है जिसके सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्णय अंतिम होगा।
7. आवश्यकतानुसार सेम्पल संलग्न करें एवं नमूनों पर फर्म की मोहर एवं फर्म मालिक के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से अंकित हो। ऐसा न करने पर आपकी दरो पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. संलग्न प्रारूप में अपनी दरे अंकित कर एक बंद लिफाफे में जिसके ऊपर “निविदा संख्या (संशोधित) – 01 प्रिंटेड स्टेशनरी वर्ष 2022-23” लिख कर अध्यक्ष, भंडार समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन प्रकाश मंडल, कार्यालय बीकानेर के नाम से प्रेषित करें।
9. टेण्डर फीस 118/. रु जमा करवाना अनिवार्य है ! यदि आप की फर्म NSIC/MSME के अधीन टेण्डर फीस की छूट के लिये पात्र है तो आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करें !
10. बंद लिफाफे में निविदा कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि 15.11.2022 को शाम 05.00 बजे तक है एवं दिनांक 16.11.2022 को अपराह्न 12.00 बजे निविदा खोली जाएगी जिसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है यदि आपकी फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो यह स्वतः समझा जाएगा कि आप निविदा प्रक्रिया से पूर्ण संतुष्ट हैं।
11. Successful tenderers will have to provide Security Deposit @ 3% of the contracted value (where the tender value or quantum of order placed exceeds amount of Rs. 1 Lacs) in the form of Demand Draft/ Bankers Cheque/Bank Guarantees through Scheduled Banks. The deposit shall not carry any

interest. In that event LIC may decide/debar/blacklist the concerned Supplier and the decisions will be final and binding on all concerned

12. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र बीकानेर ही होगा
13. Tender shall be valid upto 28.07.2023 but Corporation reserves the right for any alteration in period of the tender
14. Successful vendor को pre contract integrity pact fill करके जमा करवाना होगा !
15. THE INSURANCE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015
 1. In terms of provisions of Section 33 (3) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), is authorized to verify all such books of account, register, other documents and the data base in the custody of the contractor in respect of service outsourced by the LIC of India. It shall be the duty of the contractor to provide such documents/statements/information as may be required by IRDAI within such time as may be specified by IRDAI .
 2. In terms of provisions of Section 33 (4) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), if it considers expedient to do so, may direct any person hereinafter referred to as "Investigating Officer", to make an investigation as specified under Sec.33 (1) or carry out an inspection as specified under Section 33 (2) of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, who may examine on oath any Manager, managing Director or Other Officer of the service provider or contractor where the services are outsourced by LIC of India.

संलग्न: Item specification document
(कार्यालय सेवा)

प्रबंधक